195

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–14 / वि०1–104 / 2024– पटना, दिनांक : 11.07.2024

प्रेषक,
मो0 सादुल्लाह जावेद,
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,
सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक)
(रूपां0 एवं योजना तथा परियोजना प्रमण्डल छोड़कर)
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

विषय : O&M अवधि समाप्त हो चुके मिनी जलापूर्ति योजनाओं को संवेदक से हस्तांतरण लेने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कहना है कि आपके प्रमंडलान्तर्गत निर्मित अधिकांश / सभी मिनी जलापूर्ति योजनाओं की निर्धारित O&M अवधि समाप्त हो गई है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऐसी योजनाएँ संचालन, मरम्मति एवं संपोषण के अभाव में अकार्यरत होते जा रही है। अनेक प्रमंडलों की विभिन्न योजनाओं की स्थिति जर्जर हो गई है। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा के उपरांत निर्धारित O&M अवधि समाप्त हो जाने के बाद उक्त मिनी जलापूर्ति योजनाओं का संवेदक से हस्तांतरण प्रमंडल द्वारा नहीं लिया गया है। एकरारनामा में विहित प्रावधान के अनुरूप योजना के O&M अवधि समाप्त होने के उपरांत योजना को चालू हालत में संबंधित संवेदक द्वारा प्रमण्डल को हस्तांतरित किया जाना था। अनेक वार्ड / टोला ऐसे है जहाँ के ग्रामीणों की पेयजलापूर्ति हेतु निर्भरता इन्हीं योजनाओं पर हैं परन्तु उपरोक्त कारणों से योजना बंद / अकार्यरत अथवा दयनीय हालत में होने के कारण ग्रामीणों को पेयजल के संकट का सामना करना पड़ रहा है। विदित हो कि मिनी जलापूर्ति योजनाओं की क्रियाशीलता बनाये रखने हेतु स्पष्ट निदेश विभागीय पत्रांक– 14 / वि01–104 / 2024–21 दिनांक– 24.05.2024 के माध्यम से पूर्व में आपको दी गई है।

उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि वैसे सभी मिनी जलापूर्ति योजनाएँ जिनका निर्धारित O&M अवधि समाप्त हो चुका है, को संबंधित संवेदक से विधिवत चालू हालत में तथा एकरारनामा में निहित योजना से संबंधित सभी अव्यवों को पूरी तरह सुचारू रूप से कार्यरत रूप में हस्तांतरण ले लिया जाए। हस्तांतरण लेते समय यदि निर्मित जलापूर्ति योजना की स्थिति अकार्यरत / जर्जर हो तो संबंधित संवेदक से इसे चालू कराकर इसका हस्तांतरण लिया जाए। यदि संवेदक द्वारा संविदात्मक दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाता है तो "As and where Basis" पर Inventory तैयार कर हस्तांतरण लेते हुए। Risk & Cost के आधार पर संचालित करने हेतु राशि की वसूली SBD के Clauses 14 के अनुसार पुराने संवेदक के performent security तथा any money due to the contractor on any account से की जाए। वसूली हेतु राशि पर्याप्त नहीं होने पर PDR (Public Demand Recovery) Act के तहत कार्रवाई कर संवेदक की चल एवं अचल संपति जब्त कर अथवा निलामी कर वसूली की जाय। इसके साथ ही O&M की अवधि समाप्त वाले मिनी जलापूर्ति योजनाएँ जिसके आस–पास कोई वार्डवार योजना नहीं है, को वार्डवार योजना मानते हुए O&M का कार्य संचालित किया जाए।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(मो0 सादुल्लाह जावेद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक : 114 पटना, दिनांकः11.07.2024

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मो0 सादुल्लाह जावेद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव